न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 20/2013

अनवान

गोपाल पुत्र श्री हरिशचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलवन्ता तहसील–अजमेर, जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 23.01.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सवंत 2070 में ग्राम बलवन्ता तहसील अजमेर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 1004 कुल रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी 02 सिवाय चक भूमि में से रकबा 260 वर्ग मीटर पर मकान निर्माण हेतु स्तह से दो फीट उपर पक्की दीवार का निर्माण कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 156/2013 दर्ज कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.06.2013 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमीं को विवादित सिवाय चक भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 20.06.2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अपील के मुख्य तथ्य यह है कि ग्राम सवंत 2070 में ग्राम बलवन्ता तहसील अजमेर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 1004 कुल रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी 02 सिवाय चक भूमि में से रकबा 260 वर्ग मीटर पर मकान निर्माण हेतु सतह से दो फीट उपर पक्की दीवार का निर्माण कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर पत्रावली दिनांक 20.6.2013 को नियत की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त दिनांक को ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की एक तरफा रिपोर्ट को आधार मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपने पूर्वजो के समय काबिज होने से रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जानी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

चाहिये थी। तहसीलदार अजमेर द्वारा उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही/जांच किये बिना आवेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, के विपरीत विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.2013 निरस्त किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण हेतु नींव खोदकर जमीन से दो फीट उपर तक पक्की चार दीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों के सर्मथन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख, प्रकट नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.01..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner